हिम धरा
HIM DHARA

Him Dhara, Environment Research and Action Collective
Himachal Pradesh

website: www.himdhara.org
email: info@himdhara.org

छोटी जल विद्युत परियोजनाएं, बड़े प्रभाव?
स्थानीय लोगों के मुद्दों पर चर्चा
सम्भावना संस्थान, पालमपुर में एक दिवसीय बैठक
रविवार, 9 सितंबर 2012

साथियों,

हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह , एक ''विद्युत'' राज्य की नज़र से देखा जा रहा है, जहां लगभग 21,000 मैगावाट विद्युत पैदा करने की संभावना आंकी गई है। यहां न केवल बिजली पैदा करने बल्कि 'स्वच्छ' मानी जाने वाली बिजली पैदा करने की होड़ है, जिसके अंतर्गत *रन ऑफ द रिवर* तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक को सामाजिक व पर्यावर्णीय रूप से कम नुक्सानदायक बताया जाता है लेकिन हिमाचल में विभिन्न जगहों पर स्थानीय लोगों के विरोध के अनुभव बताते हैं कि यह परियोजनाओं में नदियों व उपनदियों का दिशापरिवर्तन किये जाने है, के कारण चाहें प्रत्यक्ष विस्थापन कम हो लेकिन यह स्थानीय जन–जीवन व आजीविकाओं को नुक्सान पहुंचाती हैं और कई प्रकार से वनों के विनाश का कारण बन जाती हैं।

जहां विशाल और मध्यम आकार की जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों के विषय में लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं, 5 मैगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। 21000 मैगावाट में से 750 मैगावाट बिजली का उत्पादन ऐसी ही लघु विद्युत परियोजनाओं द्वारा किया जाना है – *रन ऑफ द रिवर* तकनीक से बनाई गई परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल, अक्षय ऊर्जा, कम लागत व विकेन्द्रीकृत संरचना के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार ने लघु विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के लिए आकर्षक योजनाएं, जैसे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण और सभी स्वीकृतियों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराना।

इस पूरी व्यवस्था में जिस तथ्य को नज़रंदाज़ किया जा रहा है, वह यह है कि लघु परियोजनाएं ऐसी छोटी उपनदियों पर बनाई जा रही हैं, जिन पर स्थानीय ग्रामीण लोग अपनी आजीविकाओं के लिए निर्भर हैं और यह नदियां स्थानीय प्रकृति का भी महत्वपूर्ण अंग हैं। कांगड़ा में यह उपनदियां पारंपरिक सिंचाई के साधन कूलों के लिए प्रमुख पानी का स्रोत हैं। घराट इन्हीं नदियों पर बने हैं और कई गांवों में तो पीने का पानी भी इन्हीं नदियों से प्राप्त होता है।

लघु परियोजनाएं होने के कारण, इनके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। इन परियोजनाओं के लिए लगभग सभी आवश्यक स्वीकृतियां राज्य स्तर पर ही मिल जाती हैं, जिसमें तकनीकी–आर्थिक स्वीकृतिऔर सिंचाई व सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से स्वीकृतियां शामिल हैं। लेकिन राज्य स्तर पर ऐसी कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई है, जिससे लघु विद्युत परियोजनाओं के पवर्यावरण व सामाजिक प्रभाव का आंकलन किया जा सके व यह देखा जा सके कि इन परियोजनाओं से कितना लाभ किस कीमत पर हो रहा है। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर किसी भी प्रकार की जवाबदारी प्रक्रियाएं लागू नहीं की गई हैं। इस तथ्य की पुष्टि हाल में छपी खबर से होती है जिसके अनुसार कांगड़ा जिले की 23 लघु जलविद्युत परियोजनाओं ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है।

इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के उद्यमियों को शामिल किए जाने से स्थानीय लोगों और भी ज़्यादा नाराज़ हैं,

, क्योंकि इस निवेष से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और बाहर से आए परियोजना निर्माता किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द लाभ कमाने और आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाने पर ही नज़र रखते हैं,। दूसरी ओर, इसमें से कई परियोजनाओं को स्वच्छ विकास प्रक्रिया के अंतर्गत, ऊर्जा विकास में कार्बन उत्सर्जन बचाने के लिए छूट भी मिल जाती है। जहां 1 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए रु. 4–7 करोड़ की लागत आती है, वहां इससे होने वाला लाभ बेहद आकर्षक है – रु.60,000 प्रतिदिन प्रति मैगावाट। इसमें यदि हम इन्हें मिली छूट को भी शामिल कर दें, तो मुनाफ़ा कई गुणा बढ़ जाता है।इसी संदर्भ में, ज़रूरी हो गया है कि ऐसी लघु विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित व अपनी नदियों व पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों – पर अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत स्थानीय लोगों के साथ इन सभी मुद्दों व आगे की दिशाओं पर चर्चा की जाए । इस संबंध में सम्भावना संस्थान, पालमपुर, कांगड़ा में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं :

– लघु विद्युत परियोजनाओं से स्थानीय आजीविकाओं, पर्यावरण व जल अधिकारों पर होने वाले प्रभावों की समझ बढ़ाना

– स्थानीय समुदायों/कार्यकर्ताओं/प्रतिनिधियों का अन्य क्षेत्रों के प्रभावित लोगों/कार्यकर्ताओं व संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके, उन्हें संबंधित नीतियों की जानकारी देना

– इन मुद्दों को सरकार व संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाने के लिए रणनीतियां तैयार करना।

कार्यक्रम

विषय	समय
परिचय	सुबह 10:00 से 10:15
हिमाचल प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाएं : परिदृश्य व खुली चर्चा – राहुल सक्सेना	10:15 से 11:00
लघु विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव : आजीविकाओं और पर्यावरण पर प्रभाव : स्थानीय लोग प्रभावों के अनुभव सब के साथ बांटेंगे; कानूनों का उल्लंघन – लाल चंद कटोच, केसर चंद, प्रवीन भारद्वाज, अक्षय जसरोटिया, कुलभूशण उपमन्यु, अन्य – न्यूगल, आवा, गज, बोह, मांझी, हरिपुर, के के कोहली व अन्य परियोजनाएं	11:30 से 1:00
लघु परियोजनाओं के विरुद्ध स्थानीय प्रतिक्रियाएं व संघर्ष	2:00 से 3:00
भविश्य की रणनीति – हस्तक्षेप के अवसर	3:30 से 5:00

भोजन व बैठक स्थल : सम्भावना संस्थान, ग्राम कंडबाड़ी, पालमपुर।

भवदीय

हिमधरा, पर्यावरण अध्ययन व क्रिया समूह

राहुल सक्सेना – 98160225246/9459530190 मान्शी आशर – 9816345198

Support from:

South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP)